राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार/कम्प्यू.एएमसी/2016/ दिनांक :

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
राज. जयपुर।

विषयः निविदा सूचना प्रकाशित कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर (चिकित्सा पक्ष) मुख्यालय पर कम्प्यूटर/प्रिन्टर ए.एम.सी. कार्य वर्ष 2016–17 हेतु खुली निविदाऐं आमंत्रित की जानी हैं। कृपया संलग्न निविदा सूचना को नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें, साथ ही आपके विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का श्रम करें।

संलग्न : निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तें मय सी.डी.।

Sd/-
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज. जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार/कम्प्यू.एएमसी/2016/290 दिनांक : 28/11/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संलग्न उक्त निविदा सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें। (संलग्न निविदा सूचना मय निविदा शर्तें)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज.जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्थाई भण्डार/2016/290 दिनांक :28-11-2016

निविदा सूचना संख्या 1/2016-17

1. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए कम्प्यूटर मय प्रिन्टर में होने वाली समस्त प्रकार की तकनीकी खराबी की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा पार्टस रिपेयर व बदलना आदि कार्य हेतु वार्षिक रखरखाव हेतु मोहरबंद (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदाएं दिनांक 15.12.2016 को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	बिड प्रपत्र शुल्क
1.	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर में होने वाली समस्त प्रकार की तकनीकी खराबी की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा पार्टस रिपेयर व बदलना	3.00 लाख	6000.00	500.00

2. निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी जो कि निविदा प्रकाशन दिनांक से दिनांक 15.12.2016 को मध्यान्ह 1:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में 500/- रूपये जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है।
3. पूर्ण निविदा मोहरबंद लिफाफे पर कम्प्यूटर उपकरण मरम्मत एवं रखरखाव कार्य अंकित कर भण्डार अधिकारी, स्थाई भण्डार अनुभाग (मुख्यालय) के पास दिनांक 15.12.2016 को सायं 4.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक होगा। निविदा के साथ अमानत राशि 6000/- रूपये (छः हजार रूपये) नगद जमा रसीद या निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. के रूप से धरोहर राशि जमा करानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जाएगी।
4. निविदा का पूर्ण विस्तृत विवरण निविदा शर्ते आदि विभाग की वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in तथा आर.टी.पी.पी. पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड कर प्रस्तुत निविदा के साथ निविदा शुल्क 500/- रू. मय अमानत राशि 6000/- रू. के बैंकर चैक/डी.डी. निदेशक (जन स्वा.), चि. एवं स्वा. सेवाएं, राज., जयपुर के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) के पास सुरक्षित होगा। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा।
6. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 15.12.2016 सायं 5.00 बजे गठित कमेटी के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज. जयपुर

PART-A

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR

TECHNICAL BID

1. Details of Bidder

(A) Name & Postal address of the firm submitting the tender	**M/s**
(B) Constitution of the Firm (Proprietor/Partnership/Company)	
(C) Telephone Numbers	
(D) Mobile Numbers	
(E) Email Id	

Signature of Tenderer
With Rubber Stamp

कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर उपकरणों की सूची

क्र.सं.	विवरण	कुल नग
1.	एस्सर कम्पनी मॉनिटर एवं सीपीयू क्रय का वर्ष जून 2014	92
2.	विप्रो कम्पनी मॉनिटर एवं सीपीयू क्रय का वर्ष लगभग 15 वर्ष पूर्व	23
3.	कोनिका मिनोल्टा लेजर प्रिन्टर 1500 क्रय का वर्ष मई 2014	42
4.	एचपी 1606 लेजर प्रिन्टर क्रय का वर्ष जुलाई 2014	4
5.	एचपी लेजरजेट प्रिन्टर क्रय का वर्ष लगभग 15 वर्ष पूर्व	24
6.	कोनिका मिनोल्टा 1590 डिजीटल मल्टी फंक्शन कॉपियर मशीन प्रिन्टर क्रय का वर्ष जूलाई 2014	8
7.	आरएस पांवर सिस्टम 0.8 केवीए यूपीएस क्रय का वर्ष अगस्त 2014	88
8.	एचपी कम्पनी मॉनिटर एवं सीपीयू क्रय का वर्ष दिनांक 06 नवम्बर 2015	10
9.	एचपी एमएफपी लेजर जेट प्रिन्टर क्रय का वर्ष 06 दिनांक नवम्बर 2015	4
10.	केनन कम्पनी लेजरजेट प्रिन्टर क्रय का वर्ष दिनांक 23 दिसम्बर 2015	18
11.	केनन कम्पनी स्केनर DR-C130L क्रय का वर्ष दिनांक 24 दिसम्बर 2015	4

Signature of Tenderer

With Rubber Stamp

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

तकनीकी बिड प्रपत्र
विशिष्ठ शर्तें

1. कम्प्यूटर मय प्रिन्टर में होने वाली समस्त प्रकार की तकनीकी खराबी की मरम्मत एवं रख–रखाव तथा पार्टस रिपेयर व बदलना आदि कार्य हेतु वार्षिक रखरखाव की दर संविदा हेतु बिड।
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता व मोबाईल नम्बर ....
....
....
3. किसको संबोधित किया गया– निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
4. संदर्भ क्रमांकः स्थाई भण्डार/2016/ .... दिनांक
5. बिड शु ल्क :– 500/– रू. नगद रसीद/डी.डी. बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... के द्वारा जमा करवा दिये गये है। संलग्न है।
6. बिड प्रतिभूति राशि 6000/-- रू. का निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के नाम नगद जमा रसीद/डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक............... बैंक का नाम.. पर आहरित किया गया है सलंग्न है।
7. हम निदेशक (जन स्वा.) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या क्रमांकः स्थाई भण्डार/2016/ .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त बिड सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाहर होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रयास में हमने अपने हस्ताक्षर कर दिये है)
8. बिड द्विप्रकर्मी बिड के रूप में आमंत्रित की गयी है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों की स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न कर तकनीकी बिड लिफाफा में रखी जावें:–
   (i) यथा निर्धारित रूप में पूर्ण धरोहर राशि (Earnest Money)
   (ii) निविदा शर्तें की स्वीकारोक्ति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर सहित निविदा प्रपत्र।
   (iii) निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र
   (iv) बिक्रीकर/सेवाकर/टीन नं./पेन कार्ड/ फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र
   (v) गत दो वर्षों के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र
   (vi) प्रपत्र अ, ब, स
   (vii) अनुभव प्रमाण
9. बिड में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। दरों को आपसी सहमति से तीन माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
10. बिड के साथ बिक्री/वैट पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2016 तक तथा नवीनतम वैट कर चुकता प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति, रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं सर्विस टैक्स क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र, प्रपत्र 3 प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त बिडदाता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शर्त अंकित नही की जावें। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

12. सफल बिडदाता द्वारा कार्यरत तकनीकी स्टाफ की संख्या न्यूनतम 4 होनी चाहिए जिनमें एक की योग्यता एक वर्षीय कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण मरम्मत कार्य का डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए, जिसका तकनीकी बिड में उल्लेख किया जावें। शेष 3 की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास एवं एक वर्षीय कार्यानुभव होना चाहिए। (प्रमाण संलग्न करें)
13. फर्म में कार्यरत तकनीकी स्टॉफ का विवरण

Sr.	Name of Service Engineer	Tech. Qualification	Year of Experience	Field of Experience
1.				
2.				
3.				
4.				

14. बिडदाता द्वारा गत तीन वर्षों में से किसी भी सरकारी/अर्ध सरकारी विभाग अथवा सरकारी इकाईयों/निगम/संस्था/बैंकों में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर संबंधित उपकरणों के सफलतापूर्वक रखरखाव कार्य का अनुभव एवं न्यूनतम वार्षिक कार्य राशि 3.00 लाख रू. प्रति वर्ष का टर्नऑवर होना आवश्यक है। प्रमाण/कार्यादेश तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें।
15. कार्यानुभवः–

विवरण जहाँ कम्प्यूटर उपकरण ए.एम.सी. संबंधित कार्य किया गया या किया जा रहा हैः–

Sr.	Name of Dept/Office	Discription of AMC	Cost of Work order	No. of Devices under AMC work order					
				PCS	LAPTOP	Laser Printer	UPS	Scanner	Other
1									
2									
3									

16. सरकारी विभागों/सरकार इकाईयों/निगम/संस्था/बैंकों में कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत हेतु ए.एम.सी. का एक वर्ष का सतोषजनक सेवा का प्रमाण संलग्न किया जावें।
17. संबंधित सभी प्रपत्र संलग्न किये जाने चाहिए। उपरोक्त में से किसी भी प्रपत्र को संलग्न नहीं करने पर फर्म तकनीकी रूप से असफल मानते हुए उक्त फर्म की वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी।
18. तकनीकी दृष्टि से सफल पाये जाने पर ही बिडदाता की वित्तीय बिड खोली जोवगी।
19. कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की संख्या अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान इन उपकरणों की संख्या कम/अधिक हो सकती है।
20. राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 29(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्ययधीन होगी।
21. बोली दस्तावेजों में परिवर्तनः– बोली प्रस्तुत करने के लिये अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

<u>बिड की शर्ते</u>

कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू.पी.एस. आदि के वार्षिक रखरखाव (Repair & Maintenance) हेतु बिड की शर्ते

1. बिड द्वि–प्रक्रमी यथा तकनीकी बिड (लिफाफा–अ) तथा वित्तीय बिड (लिफाफा–ब) भरी जाएगी। बिड के साथ संलग्न तकनीकी प्रपत्र बिड को बिड के अनुसार समस्त प्रपत्रों के साथ लिफाफे में सील बन्द करें। उक्त लिफाफे पर 'कम्प्यूटर मय प्रिन्टर्स के वार्षिक अनुबन्ध हेतु तकनीकी बिड (लिफाफा–अ)' आवश्यक रूप से लिखें।
2. वित्तीय बिड (लिफाफा–ब) जिसमें दरें अंकित की जाएगी उसे एक दूसरे लिफाफे जिस पर कम्प्यूटर मय प्रिन्टर्स के वार्षिक अनुबन्ध हेतु वित्तीय बिड (लिफाफा–ब) आवश्यक रूप से लिखा हो में सील बन्द करें।
3. उदत दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील बन्द करें तथा उस पर कम्प्यूटर मय प्रिन्टर्स के वार्षिक अनुबन्ध हेतु बिड अंकित करें।
4. बिड प्रपत्रों का मूल्य राशि रूपये 500/– रू. है तथा बिड, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर के पते पर प्रेषित की जानी है।
5. बिड/बोली प्रतिभूति राशि रूपये 6000/– रू. हैं। बिड/बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, (जन स्वा.) के नाम से जारी किए हुए हों, बिड दाता को तकनीकी बिड के साथ संलग्न (लिफाफा 'अ') करना होगा।
6. सफल बिडदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, जो कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत होगी, अनुबन्ध के साथ जमा करवानी होगी, यह सभी राशि ई–ग्रास, बैंक ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा एफ.डी. के रूप में जमा करवानी होगी, जो कि बिना ब्याज के अनुबन्ध समाप्ति पर लौटायी जावेगी।

7. बिड जो निदेशक (जन स्वा.) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई है, (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीकस्वरूप हमने समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।) का भी पालन करने के लिये हम सहमति प्रदान करते है।

8. विभाग द्वारा स्वीकृत दरें एक वर्ष के लिए वैद्य रहेंगी। इसके आगे की अवधि पारस्परिक सहमति से अधिकतम तीन माह तक बढ़ाई जा सकेगी।

9. बिक्रीकर/वाणिज्यकर अधिकारी से बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या की छायाप्रति संलग्न करें।

10. बिडदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त कार्य करने हेतु अधिकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. मोहर बन्द बिड निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के पते पर पहुंचायी जानी है। बिड दिनांक 15.12.2016 को सांय 4.00 बजे तक जमा की जायेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा/बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

12. प्राप्त तकनीकी बिड (लिफाफा–अ) दिनांक 15.12.2016 को सांय 5.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति/कमेटी द्वारा स्थाई भण्डार अनुभाग (निदेशालय) में खोली जावेगी।

13. तकनीकी बिड में सफल रहे बिडदाताओं की वित्तीय बिड (लिफाफा–ब) खोला जोयगा। जिसकी सूचना संबंधित बिडदाताओं को अलग से दी जाएगी। तकनीकी बिड में असफल बिडदाताओं की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी।

14. सामान्यतया बिड की समस्त मदों की कुल न्यूनतम राशि के आधार पर न्यूनतम बिडदाता का निर्धारण किया जावेगा। फिर भी विभागीय क्रय समिति/कमेटी न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी। जिसका अधिकार कमेटी/विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

15. ए.एम.सी. कम्प्यूटरों एवं प्रिन्टरों (संलग्न सूची अनुसार) में प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स व इलैक्ट्रिकल स्पेयर पार्टस सहित होगी। Consumables Items जैसे रिबन, रिबन कार्टरिज, टोनर, कागज,

प्लास्टिक पार्ट्स, टूट–फूट, एन्टी वायरस, डाटा लोस्ट, जले हुए पार्ट्स एवं यू.पी.एस. बैट्री ए.एम.सी. में सम्मिलित नहीं होगे।

16. यदि किसी उपकरण में कोई स्पेयर पार्ट को बदलने की आवश्यकता होती है तो उपकरण की निर्माता कम्पनी के Genuine/Original स्पेयर पार्ट ही लगाने होंगे।

17. कम्प्यूटर/प्रिन्टर इत्यादि (संलग्न सूची अनुसार) खराब होने की रिपोर्ट कराने से आगामी चार कार्य घंटों में संबंधित उपकरण सही कर दिया जाना चाहिये। यदि कॉल 4 घण्टे पश्चात् भी सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो 100/– रू. प्रतिदिन के अनुसार दण्डस्परूप लगाया जावेगा। यदि उपकरण को सही करने हेतु अधिक समय लगने की संभावना हो तो सफल बिड़दाता द्वारा समकक्ष या उच्च स्तर का स्टैण्ड बाई उपकरण लगाना होगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं अधिकतम सात दिवस में मूल उपकरण ठीक कर आवश्यक रूप से पुनः इन्स्टॉल करना होगा। यदि सेवा प्रदाता द्वारा 7 दिवस पश्चात् कार्य किया जाता है तो 7 दिवस पश्चात् के दिनों की संख्या को 100/– रू. प्रतिदिन के अनुसार दण्ड स्वरूप लगाया जाकर बिडदाता से वसूली की जायेगी।

18. सेवा प्रदाता द्वारा समय पर सन्तोषजनक सेवा प्रदान नहीं करने पर उक्त कार्य बाजार से कराया जा सकता है एवं उक्त राशि की वसूली तथा उसका 50 प्रतिशत दण्डस्वरूप सेवा प्रदाता से की जावेगी।

19. ए.एम.सी. के अन्तर्गत समस्त उपकरणों की प्रति माह पर प्रिवेंटिव मेंटिनेंस की जाएगी। कॉल बुकिंग तथा प्रिवेंटिव मेंटिनेंस हेतु निदेशालय कार्यालय तथा सेवा प्रदाता कार्यालय में अलग–अलग रजिस्टर संधारित किये जाऐंगे।

20. सफल बिडदाता ए.एम.सी. कार्य को अथवा उसके किसी हिस्से एवं किसी कार्य को अन्य किसी फर्म को सबलेट नहीं करेगा।

21. ए.एम.सी. के अन्तर्गत बिल का भुगतान त्रैमासिक किया जावेगा।

22. सफल सेवा प्रदाता को नियमानुसार राशि रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। इस बिड में वर्णित समस्त शर्तें अनुबन्ध का हिस्सा होगी।

23. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर 15 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

24. नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि में से की जाने वाली कटौतियां यथा टी.डी.एस. इत्यादि काटकर ही भुगतान किया जावेगा।

25. बिड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहियें।

26. लिफाफा 'ब' में रखे जाने वाले वित्तीय बिड पार्ट 'बी' के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावे, केवल दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जावे, कटिंग नहीं करें, अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।

27. कम्प्यूटर में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संबंधी समस्त परेशानियों का भी निराकरण सेवाप्रदाता द्वारा करना होगा।

28. कम्प्यूटर उपकरणों की संख्या अनुमानित है जो कि संशोधित की जा सकती है। कम्प्यूटर उपकरणों की ए.एम.सी. कुल एक वर्ष के लिये प्रस्तावित है।

29. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को धरोहर राशि के रूप में शेष 3 प्रतिशत राशि का बैंकर चैक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में जमा कराना आवश्यक होगा।

30. किसी भी वाद–विवाद प्रकरण में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

31. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम एवं माननीय होगा। निविदा के किसी भाग में आंशिक एवं पूर्ण संशोधन तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) के पास सुरक्षित होगा।

32. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

33. बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्रः— कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से नवीनतम बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

34. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेन्सिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनो एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

35. दर शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनाँक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों मे राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करो की राशि को पृथक से दिखानी चाहिए।

36. (i) दरों की तुलनाः— राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों , जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत्त जाएगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा।

(ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

37. विधिमान्यताः— निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

38. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

39. निरिक्षणः—

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयो पर प्रदायकर्ता के परिसर मे जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयो पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उसे प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

40. बयाना राशि (अनेस्ट मनी) :— (क) निविदा के साथ 6,000/—रू. (रूपये छः हजार मात्र) की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा। यह

राशि निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के पक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(i) नकद – बजट शीर्ष "8443" – सिविल निक्षेप– 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान में जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक।

41. निविदादाता करार का निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड़) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फ़र्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में फर्म का पंजीयन।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

42. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप मे अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

43. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

44. विभाग के पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। फर्म यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रपत्र की अतिरिक्त प्रति नहीं करे। यदि किसी प्रपत्र की गोपनीयता भंग होती है तो फर्म की निविदा स्वतः ही निरस्त कर दी जायेगी। तथा फर्म के विरूद्व आरटीपीपी एक्ट 2013 एवं रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

45. बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security)

(1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी,

अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है ;

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है ;

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

46. बोलियों की विधि मान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):–

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि निविदा की अंतिम तिथि के 90 दिन तक के लिए होगी।

47. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

48. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह मे नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरंत कर ली जावेगी।यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

49. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविददाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

50. निविदा की शर्तो में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एंव लेखा नियम, एवं RTPP ACT-एवं RTPP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगें।

51. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of bids):–बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन याउपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेऔर इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से"प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण"अंकित हो ; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिमसमय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्तकरने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डालदिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है,बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरणबोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

52. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

53. हित का विरोध (Conflict of interest):—

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमे निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन,विनिर्देश बरहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

54. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3)और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

55. **<u>COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO COMFLICT OF INTEREST:</u>**

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bride, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process:

b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation:

c) Not indulge in any collusion. Bid rigging or any- competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process:

d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process.
f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
g) Disclose conflict of interest, if any;and
h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities. Contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

I. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if. Including but not limited to
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
   d. Have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as bidder , in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject or the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the procuring entity as engineer inchage/ consultant for the contract.

I/We hereby agree all above terms & Conditions & have signed on each page as a taken of acceptance.

56. **GRIVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS:**

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

(1) Filling an appeal

If and Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision. Action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rules of the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision on action, omission as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial bids. An appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The Officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it or within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2) , or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority , the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity , as the case may be , may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate Authority, as the case may be

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters namely:-

(a) Determination of need of procurement:

(b) Provision limiting participation of Bidders in the Bid process:

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process:

(e) Applicability of the provisions of Confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority of Second Appellate Authority .as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non- refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Band in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents. If any , to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public procurement Portal.

57. Additional Conditions of Contract

1.Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

i. if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if the is an error in a total corresponding to the additional or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which cases the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject mater of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensating except otherwise provided the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and the vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid accepted and the second lowest Bidder equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

58. The Designation and address of the First Appellate Authority is Director (P.H.) Medical & Health Services, Rajasthan Jaipur and the Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Health Secretary, Medical & Health Dept. Govt. of Rajasthan, Jaipur.

59. Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice inviting Bids No. .... Dated............... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we not insolvent, receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any off the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Signature of Tenderer

With Rubber Stamp

प्रपत्र–अ

औसत वार्षिक टर्न ओवर की सूचना का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ....

का पिछले तीन वित्तिय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	वित्तिय वर्ष	टर्न ओवर की राशि (लाख में)
1.	वर्ष 2014–15	
2.	वर्ष 2015–16	
योग		
औसत वार्षिक टर्न ओवर		

चार्टड अकाउन्टेंट के
हस्ताक्षर मय सील

निविदा दाता के
हस्ताक्षर मय सील

DECLARATION by the Bidder on Non judicial Rs.100 stamp paper
(To be filled by the Bidder)

To,

{Procuring entity},

In response to the NIB Ref. No.-- dated----------- for

{Project Title}, as an Owner/ Partner/ Director/Auth.Sign. Of

I/ We hereby declare that presently our

Company/ firm-------------------------------- at the time of bidding,: -

a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
b) have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
c) is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
d) does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years
e) does not have any debarment by any other procuring entity
f) is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
g) does not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within aperiod of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
h) does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.
i) will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Thanking you,
Name of the Bidder: - Authorised
Signatory: -
Seal of the Organization: Date:
Place:

प्रपत्र–स

घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिये है। उपरोक्त वर्णित दरें निगम मुख्यालय, जयपुर की है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा बिड को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।

दिनांकः–

बिडदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

बिडदाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन नम्बर (निवास कार्यालय)

प्रपत्र–द

FORM No. 1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement

Appeal No. .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   i. Name of the appellant:
   ii. Residential Address:
2. Name and address of the respondent (s):
   i.
   ii.
   iii.
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of Appeal :
   ....
   ....
   .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer :
   ....
   ....
   ....

Place.................................

Date ....

Appellant Signature

PART-B

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR

FINANCIAL BID

1. Details of Bidder

(A) Name & Postal address of the firm submitting the tender	**M/s**
(B) Constitution of the Firm (Proprietor/Partnership/Company)	
(C) Telephone Numbers	
(D) Mobile Numbers	
(E) Email Id	

Signature of Tenderer

2. Rate for Computer Hardware Reparing/service AMC Work

क्र.सं.	विवरण	कुल नग
1.	एस्सर कम्पनी मॉनिटर एवं सीपीयू क्रय का वर्ष जून 2014	92
2.	विप्रो कम्पनी मॉनिटर एवं सीपीयू क्रय का वर्ष लगभग 15 वर्ष पूर्व	23
3.	कोनिका मिनोल्टा लेजर प्रिन्टर 1500 क्रय का वर्ष मई 2014	42
4.	एचपी 1606 लेजर प्रिन्टर क्रय का वर्ष जुलाई 2014	4
5.	एचपी लेजरजेट प्रिन्टर क्रय का वर्ष लगभग 15 वर्ष पूर्व	24
6.	कोनिका मिनोल्टा 1590 डिजीटल मल्टी फंक्शन कॉपियर मशीन प्रिन्टर क्रय का वर्ष जूलाई 2014	8
7.	आरएस पांवर सिस्टम 0.8 केवीए यूपीएस क्रय का वर्ष अगस्त 2014	88
8.	एचपी कम्पनी मॉनिटर एवं सीपीयू क्रय का वर्ष दिनांक 06 नवम्बर 2015	10
9.	एचपी एमएफपी लेजर जेट प्रिन्टर क्रय का वर्ष दिनांक 06 नवम्बर 2015	4
10.	केनन कम्पनी लेजरजेट प्रिन्टर क्रय का वर्ष दिनांक 23 दिसम्बर 2015	18
11.	केनन कम्पनी स्केनर DR-C130L क्रय का वर्ष दिनांक 24 दिसम्बर 2015	4
12.	ए.एम.सी. राशि प्रति माह रूपये अंकों में	
13.	ए.एम.सी. राशि प्रति माह रूपये शब्दों में	

3. ए.एम.सी. राशि प्रतिमाह की दरें समस्त कर एवं खर्च सहित स्पष्ट रूप से अंकों व शब्दों में प्रस्तुत करें।
4. Computer Hardware reparing/service AMC work will be installed with immdiate effect from the date of issue of order.
5. The rate quoted above are valid for one year from the date of the opening of the tender. The period can be extended with mutual agreement.
6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number .... issued by the Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).

Signature of Tenderer
With Rubber Stamp